न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 14 / 2023

बउनवान

1. भंवरलाल आयु 60 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति मीणा
2. चौथमल आयु 50 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति मीणा
3. महावीर आयु 45 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति मीणा
4. महेश आयु 42 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल, जाति मीणा
5. रामप्यारीबाई आयु 62 वर्ष पुत्री श्री प्रभूलाल, जाति मीणा
6. संतोषबाई आयु 48 वर्ष पुत्री श्री प्रभूलाल, जाति मीणा, निवासीगण माल बमोरी, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0) (अपीलांट)

बनाम

राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0) (रेंस्पोडेंट)

अपील विरूद्ध इंतकाल कमांक 1105 दिनांक 10.03.2014 न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :— 1. श्री कमलदीप सिंह हाडा एडवोकेट (अपीलांट)
2. परोकार सरकार (रेंस्पोडेंट)

निर्णय दिनांक 16.08.2023

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि खाता संख्या नया 96 पुराना 114 ग्राम माल बमोरी तहसील मांगरोल सम्वत् 2037—40 जमाबन्दी में कुल 4 किता रकबा 14 बीघा अपीलांट्स के पिता प्रभूलाल पुत्र मड्डू बच्ची पुत्री मड्डू हिस्सा 1/3 व अन्य सहखातेदारों के नाम समभाग में दर्ज हो रहा है। वर्णित आराजी में खसरा नंबर 484 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा ही विवादित है। सेटलमेंट 2044—63 होने के पश्चात साबिक खसरा नंबर नवीन खसरा नंबर 484 रकबा 0.39 है0 दर्ज किया गया और जमांबदी सम्वत् 2044—63 खाता संख्या 153 में कुल किता 7 कुल रकबा 1.56 है0 आराजी दर्ज है। लेकिन इसी सेटलमेन्ट जमांबदी में खाता संख्या 153 के सामने सेटलमेन्ट अधिकारी ने लाल स्याही से नोट दर्ज कर रखा है कि "खसरा नंबर 484 रकबा 0.39 है0 के स्थान पर 1.31 है0 दर्ज होगा। इस तरह नहरी प्रथम आराजी 2.14 है0 होगी लेकिन सेटलमेन्ट जमांबदी के पश्चात जो जमाबंदिया बनी उसमें इस दर्ज नोट का अमल नही करते हुए आराजी खसरा नंबर 484 की 0.39 है. भूमि ही रखी गई, और कुल आराजी 1.56 है0 ही दर्ज की गई। रकबा पूरा होते हुए भी अपीलांट्स को उपखण्ड अधिकारी मांगरोल के यहां धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश करके खसरा नंबर 1574 रकबा 0.29 है. के स्थान पर 0.99 है. किए जाने की प्रार्थना की। खसरा नंबर 1574 केचमेण्ट होने के पश्चात नंबर दर्ज किया गया है। अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल ने दिनांक 19.09.2013 को निर्णय पारित करते हुए खसरा नंबर 1574 रकबा 0.29 है0 के 0.70 है. की वृद्धि करके रकबा 0.99 है. दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किया। उपखण्ड अधिकारी मांगरोल के निर्णय दिनांक 19.09.2[illegible] पालना में इंतकाल नंबर 1105 दर्ज किया गया है, और खसरा नंबर 1574 रकबा 0.99 [illegible] दिया गया। इंतकाल बनने के पश्चात जमाबंदी सम्वत् 2067—70 [illegible] बनाई गई, जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल [illegible] दर्ज करके रकबा बढ[illegible] का नोट दर्ज हो रहा है। लेकिन बाद में बनने वाली जमांबदी [illegible] भी खसरा नंबर 1574 [illegible] 0.29 है. ही दर्ज है, जबकि इंतकाल 1105 में 0.99 है. आराजी दर्ज है, बाद में जमाबंदी बनी उसमें भी इस बात का नोट अंकित है लेकिन हाल जमाबंदी राजस्व रेकार्ड में 0.29 है. ही आराजी दर्ज हो रही है, जबकि खसरा नंबर 1574 में आराजी 0.99 है. दर्ज हो रही है। मौके पर अपीलांट्स खसरा नंबर

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.11 16:38:06 IST
Reason: SelfAttested

1574 के संपूर्ण रकबा 0.99 है. पर काबिज काश्त है। प्रारम्भ से ही काबिज रहे है, और आराजी पुश्तैनी है तथा पीढी दर पीढी काश्त करते चले आ रहे है, और आज भी काश्त कर रहे है। खसरा नंबर 1574 का रकबा 0.29 है0 खाते में दर्ज तो है लेकिन शेष रकबा 0.70 है. सिवायचक दर्ज है जिस पर अपीलांट्स काबिज काश्त है, लेकिन सिवायचक दर्ज होने से रेस्पो0 क्रम 1 बिजली विभाग को इस भूमि पर ग्रिड बनाने का प्रस्ताव माननीय जिला कलक्टर, बारां को भेज चुका है। राजस्व न्यायालय के निर्णय की पालना में जो इंतकाल दर्ज किया गया है, उसकी पालना नही की जाती है, तो इंतकाल दर्ज करने का कोई औचित्य नही है। अपीलान्ट्स के राजस्व रेकार्ड में खसरा नंबर 1574 रकबा 0.29 है. बाद केचमेण्ट दर्ज किया गया है और खसरा नंबर 1574 से लगी हुई आराजी खसरा नंबर 1573 रकबा 0.28 है, खसरा नंबर 1577 रकबा 0.20 है., खसरा नंबर 1578 रकबा 0.10 है. व खसरा नंबर 1586 रकबा 0.22 है. सिवायचक दर्ज है, जिस पर अपीलांट्स काबिज काश्त है और इसी जगह पूर्व में अपीलांट्स का साबिक खसरा नंबर 484 का 7 बीघा 11 बीस्वा था। रेस्पोडेन्ट अपीलांटस के कमी रकबा 0.70 है. उपरोक्त वर्णित खसरा नंबरान जो कि सिवायचक आराजी है, इनमें से कम करके अपीलाण्ट्स के खाते में दर्ज करके अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.09.2013 और इंतकाल नंबर 1105 दिनांक 10.03.2014 की पालना करायी जा सकती है। यदि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय और निर्णय की पालना में दर्ज इंतकाल की पालना नही कराई गई तो अपीलांट इस आराजी पर काबिज है उक्त आराजी पुश्तैनी है जिस पर बिजली विभाग गिड बना देगा और अपीलांट्स कानूनी तौर पर अधिकारी होते हुए भी अपनी आराजी से निर्णय होने के पश्चात भी बेदखल हो जायेंगे। तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिया जावे कि इंतकाल नंबर 1105 दिनांक 10.03.2014 वाके माल बम्बोरी तहसील मांगरोल को निरस्त करते हुए खसरा नंबर 1574 रकबा 0.29 है. खसरा नंबर 1573 रकबा 0.28 है. खसरा नंबर 1577 रकबा 0.20 है. खसरा नंबर 1578 रकबा 0.10 है., खसरा नंबर 1586 रकबा 0.22 है. आराजी जो कि सिवायचक है इसमे से 0.70 है. कम करके अपीलांट्स के खाते में दर्ज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व इंतकाल नंबर 1105 की पालना रेस्पोडेन्टस कर सकता है। रेस्पोडेन्ट तहसीलदार मांगरोल को दर्ज इंतकाल नंबर 1105 दिनांक 10.03.2014 की पालना करने के लिए अपीलांटस लगातार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है, मौखिक रूप से कह रहे है, लेकिन रेस्पोडेन्ट ने उक्त आदेश की पालना आज तक नही की है। पारिवारिक बटवारे के अनुसार अपीलांटस के पास खसरा नंबर 1574 रकबा 0.99 है. ही पारिवारिक विभाजन में प्राप्त हुआ है, इसीलिए अपीलांटस यह अपील पेश कर रहे है। अन्य सहखातेदारों से अपीलांटस को कोई आपत्ति नही है, उनसे ना तो कोई रकबा लेना है, ना देना है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर खसरा नंबर 1574 रकबा 0.29 है. वाके माल बम्बोरी तहसील मांगरोल में कमी रकबा 0.70 है. को खसरा नंबर 1573 रकबा 0.28 है., खसरा नंबर 1577 रकबा 0.20 है., खसरा नंबर 1586 रकबा 0. 22 है. व खसरा नंबर 1578 रकबा 0.10 है. में से पूरा किया जाकर इंतकाल नंबर 1105 को निरस्त करते हुए पुनः इंतकाल दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अ[illegible]सुनी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.11 16:38:06 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अ[illegible] तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड [illegible] निर्णय दिनांक 19.09.2013 की पालना में इंतकाल नंबर 1105 दर्ज किया गया है, और [illegible] नंबर 1574 रकबा 0.99 है0 दर्ज कर दिया गया। लेकिन बाद में बनने वाली जमांबदी में भी [illegible]सरा नंबर 1574 का रकबा 0.29 है. ही दर्ज है, जबकि इंतकाल 1105 में 0.99 है. आराजी दर्ज है, बाद में जमाबंदी बनी उसमें भी इस बात का नोट अंकित है लेकिन हाल जमाबंदी राजस्व रेकार्ड में 0.29 है. ही आराजी दर्ज हो रही है, जबकि खसरा नंबर 1574 में आराजी 0.99 है. दर्ज हो रही है। मौके पर अपीलांट्स खसरा नंबर 1574 के

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

संपूर्ण रकबा 0.99 है. पर काबिज काश्त है। खसरा नंबर 1574 का रकबा 0.29 है0 खाते में दर्ज तो है लेकिन शेष रकबा 0.70 है. सिवायचक दर्ज है जिस पर अपीलांट्स काबिज काश्त है, लेकिन सिवायचक दर्ज होने से तहसीलदार मांगरोल बिजली विभाग को इस भूमि पर ग्रिड बनाने का प्रस्ताव को भेज चुका है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर खसरा नंबर 1574 रकबा 0.29 है. वाके माल बम्बोरी तहसील मांगरोल में कमी रकबा 0.70 है. को खसरा नंबर 1573 रकबा 0.28 है., खसरा नंबर 1577 रकबा 0.20 है., खसरा नंबर 1586 रकबा 0.22 है. व खसरा नंबर 1578 रकबा 0.10 है. में से पूरा किया जाकर इंतकाल नंबर 1105 को निरस्त करते हुए पुनः इंतकाल दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि तहसीलदार मांगरोल द्वारा नामांतकरण दर्ज करने में कोई त्रुटि नही की गई है। अपीलांटस् द्वारा नामांतकरण खोलते समय इस संबंध में कोई आपत्ति दर्ज नही कराई गई। नामांतकरण माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल के निर्णय दिनांक 19.09.2013 की पालना में दिनांक 10.03.2014 को खोला जाकर तस्दीक किया गया है। अपीलांट्स ने नौ वर्ष से भी अधिक समय पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो मियाद बाहर एवं सारहीन होने से निरस्त फरमाई जावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

अपीलांट द्वारा इंतकाल नंबर 1105 के विरूद्ध अपील पेश कर खसरा नंबर 1574 रकबा 0.29 है. में कमी रकबा 0.70 है. को खसरा नंबर 1573 रकबा 0.28 है.,खसरा नंबर 1577 रकबा 0.20 है.,खसरा नंबर 1586 रकबा 0.22 है. व खसरा नंबर 1578 रकबा 0.10 है. में से पूरा किया जाकर इंतकाल नंबर 1105 को निरस्त करते हुए पुनः इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया है, जबकि अपीलाधीन नामांतकरण उपखण्ड अधिकारी मांगरोल के निर्णय दिनांक 19.09.2013 के आधार पर दर्ज किया गया है। जिसके द्वारा साबिक खसरा नंबर 484 के वर्तमान खसरा नंबर 1574 रकबा 0.29 है. मे 0.70 है. की वृद्धि कर रकबा 0.99 है. दर्ज करने के आदेश प्रदान किए है। इसी अनुसार नामांकरण 1105 दर्ज कर तस्दीक किया गया है। अतः अपीलांट द्वारा चाहा गया अनुतोष नियमित वाद में ही प्रदान किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतकरण दर्ज करने में कोई त्रुटि होना नही पायी जाती है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन होना पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.11 16:38:06 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)